क्रम-संख्या–128 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 जून, 2022

ज्येष्ठ 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 3 / 2022 / 54 / 80-1–2022-151-2021
लखनऊ, 20 जून, 2022

अधिसूचना

प०आ०–141

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी।

(2) यह दिनांक 11 मई, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 66-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965, में नियम 66 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"**प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज)** 66-क–प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में बिक्री के लिए लाये गये गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों यथा–अन्न, द्वि–दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं शाक, द्राक्षा–कृषि उत्पाद आदि पर, अधिनियम की धारा 17 (तीन) (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं और प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) उद्ग्रहीत करेगी और संग्रहीत करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि, घोषित मण्डी उप स्थल में गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 7-क (3) में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहण एवं सग्रहण हेतु किये गये उपबन्धों के समान ही, प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यापारी समिति को प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) का देनदार होगा और दिनांक 11 मई, 2020 से सदैव देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि यह पूर्व में क्रेता से वसूल नहीं किया गया है, ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं होगा।"

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/2022/54/ LXXX-1–2022-151-2021, dated June 20, 2022 :

No. 3/2022/54/ LXXX-1–2022-151-2021

Dated Lucknow, June 20, 2022

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 40 of the Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (PACHCHISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Pachchiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from May 11, 2020.

Insertion of rule 66-A

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965 in the said rules, after rule 66 the following rule shall be *inserted,* namely :-

"**User Charge**–66-A The Market Committee shall levy and collect user charge as per the provision of section 17 (iii)(c) of the Act on non-specified agricultural produce such as cereals, legumes, oilseeds, fibres, narcotics, spices, horticulture-vegetables and fruits and viticulture produce, *etc.* brought for sale in the Principal market yard/sub-market yard, in consideration to the rendered material and services of the infrastructure facilities available at Principal market yard/sub-market yard :

Provided that on non-specified agricultural produce in the declared market sub yard, user charges shall be levied and collected in the same manner as the provision made for levying and collecting market fee on specified agricultural produce in section 7-A(3) of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 :

Provided further that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any Court, a trader selling non-specified agricultural produce shall be liable to pay user charge to the Committee and shall be deemed to have become liable with effect from May 11, 2020, and shall not be exempted from such liability on the ground that it has not been recovered from that purchaser earlier."

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 135 राजपत्र–2022–(308)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।